(57)

आज दिनांक 27.07.2015 को श्री अबरार अहमद कमर (बि0प्र0से0) अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितिः–पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम अपर समाहर्त्ता द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव सं0ः–1–कृषि विभाग

समीक्षा के क्रम मे जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अन्तर्गत श्री विधि धान प्रत्यक्षण हेतु भौतिक लक्ष्य 3394 एकड़ के विरूद्ध उपलब्धि 2548 एकड़ प्राप्त कर लिया गया है तथा जिले के सभी प्रखंडों में 2548 कृषकों के बीच श्री विधि उपादान किट उपलब्ध करा दिया गया है।जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से किसानो के बीच श्री विधि धान प्रत्यक्षण रोपनी कार्य किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अन्तर्गत तनावरोधी धान प्रत्यक्षण हेतु भौतिक लक्ष्य 2495 एकड़ के विरूद्ध 1901 एकड़ में पैडीट्रांस्पलांटर से धान की खेती हेतु भौतिक लक्ष्य 1749 एकड़ के विरूद्ध 1043 एकड़ में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत सुगंधित धान प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य 643 एकड़ के विरूद्ध 573 एकड़ में उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है। इसी प्रकार संकर धान प्रत्यक्षण हेतु भौतिक लक्ष्य 17307 एकड़ के विरूद्ध 13153 एकड़ में उपलब्धि हुई है। इसके अंतर्गत प्रति कि0ग्रा0 100 रू0 अनुदान के साथ प्रति कृषक अधिकतम 12 कि0ग्रा0 धान बीज पर 1200 रू0 अनुदान दिया गया है। लक्ष्य के विरूद्ध कम उपलब्धि के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में 200 रू0 प्रति किलो अनुदान देय था, वर्त्तमान वर्ष में अनुदान 100 रू0 प्रति किलो हो गया है। कम अनुदान होने के कारण कृषक का रूझान कम हो गया है, जिस कारण उपलब्धि कम हो पायी है।

बीज ग्राम योजनाः–

बीज ग्राम योजना अन्तर्गत उत्पादन के उद्देश्य से 3900 चयनित कृषको को 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रति कृषक 12 कि0ग्रा0/एकड़ की दर से आधार धान बीज बीजोत्पादन के उद्देश्य से वितरण किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजनाः–

जिले के 444 राजस्व ग्राम अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम के 02–02 चयनित किसानों के बीच आधा एकड़ प्रति कृषक 06 कि0ग्रा0 धान का आधार बीज 90 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित बीज का गुणात्मक उत्पादन किया जाना है।